

**पी.डी.पी.एम – आई.आई.आई.टी.डी.एम. जबलपुर के लिए वाहन (चालक/ईंधन के बिना)
किराय पर लेना**


संस्थान 12 माह हेतु टैक्सी सेवा किराय पर ले रहा है इच्छुक फर्म नीचे दी गई आवश्यकताओं के अनुसार दिन शुक्रवार 3 दिसम्बर 2021(शाम 4 बजे) तक बंद लिफाफे में कोटेशन जमा कर सकती है:

क्रमांक	विवरण	वाहन का प्रकार मोटरकार (वातानुकूलित)	कोटेशन दर
अ	12 माह हेतु निश्चित किराया किराय में शामिल होना चाहिए <ul style="list-style-type: none">रखरखाव लागत के साथ वाहन का किराया3000 कि.मी/प्रतिमाहसमय 24 घण्टे 7 दिन	स्विफ्ट/डिजायर/ऐसेन्ट/अमेज/इटियोज आदि	किराय की दरें एवं जी.एस.टी. दर अलग – अलग प्रदर्शित करें। (यदि जी.एस.टी. लागू हो) केवल आप के लेटर हेड पर

महत्वपूर्ण लेख:-

- चालक एवं ईंधन संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- वाहन संस्थान परिसर में 12 माह के लिए 24 घण्टे/ 7 दिन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
- वर्तमान आवश्यकता केवल 12 माह के लिए है तथापि यदि आवश्यक हो तो संस्थान संतोषजनक सेवाओं के अधीन सेवाओं का विस्तार भी कर सकता है।
- वाहन पंजीकरण 3 दिसम्बर 2021 को 03 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- निजी वाहनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए टैक्सी परमिट के साथ पंजीकृत वाहनों को ही प्रदान किया जाना चाहिए।
- वाहन सभी कार्य दिवसों (छुट्टियों सहित) और दिए गए समय के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए।
- संस्थान केवल उस सेवा प्रदाता को जी.एस.टी. का भुगतान करेगा जिसके पास जी.एस.टी. पंजीकरण है। सेवा प्रदाता को तदनुसार कोट करना चाहिए।
- सेवा प्रदाता को अलग से जी.एस.टी. दिखाते हुए दरें देनी चाहिए।
- सभी वैधानिक अनुपालन अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए जैसे बीमा, प्रदूषण जांच आदि।
- संस्थान के मुख्य द्वार पर प्रवेश और निकास के दौरान सुरक्षा कर्मचारी द्वारा मीटर रीडिंग की जाएगी।
- भुगतान प्रत्येक माह के बाद किया जाएगा।

संबोधित कोटेशन (आप के लेटर हेड पर) कुलसचिव पी.डी.पी.एम – आई.आई.आई.टी.डी.एम. जबलपुर के नाम जमा करें।


कुलसचिव